भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1927
दिनांक 22.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

1927. डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) उक्त मिशन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;
(ग) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी हितधारकों को निधि आवंटन और उसके कार्यान्वयन के लिए उनकी राय लेने हेतु आमंत्रित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो इसका प्रतिशत कितना है?

उत्तर
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जल जीवन मिशन राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक नल जल कनेक्शन के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रूपए है।

जल जीवन मिशन के लिए कार्य संबंधी दिशानिर्देश राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किए गए थे। अनुमोदित मानदंड के अनुसार, जेजेएम के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 2020-21 में आबंटन 790.48 करोड़ रूपए [3.15%] है।

****